



नगर निगम, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टॉक रोड, जयपुर)
(आयोजना प्रकोष्ठ)

क्रमांक :- एफ 13 () व. न. नि./जननि./2012/

दिनांक:-

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2010 की धारा 4 (i) अनुसार विनियम 2.54 में उल्लेखित योजना क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्डों में भवनों का निर्माण सक्षम अधिकारी की बिना स्वीकृति के भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप किया जा सकता है। इसके लिए निम्न प्रक्रिया भवन विनियम में निर्धारित है।

प्रार्थी द्वारा विस्तृत मानचित्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। केवल स्थल मानचित्र में प्रस्तावित सैटबैक (नियमानुसार देय) दर्शाते हुए निर्धारित प्रारूप में आवेदन, दस्तावेज एवं देय शुल्क दिये जाने की प्राप्ति रसीद प्राप्त करने के पश्चात् निर्माण प्रारम्भ किया जा सकता है। इस प्रकार की आवासीय निर्माण स्वीकृति की हरी पत्रावली नगर निगम क्षेत्र के संबंधित जोन आयुक्त को प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

ऐसे प्रकरणों में भूतल + प्रथम तल (अधिकतम 8.00 मी. ऊँचाई) तक के निर्माण हेतु ही आवेदक द्वारा संबंधित जोन में निम्न दस्तावेजों के साथ पत्रावली लगाई जावेगी।

1. स्वामित्व दस्तावेज।
2. स्थल मानचित्र सैटबैक (भवन विनियम या योजनानुसार)
3. सैक्शन मानचित्र जिसमें मंजिलों की संख्या व ऊँचाई अंकित हो।
4. जाँच फीस 10/- रु0 प्रति वर्ग मीटर (भूखण्ड के क्षेत्रफल पर)
5. मानचित्र अनुमोदन शुल्क:
 - i. 1 से 100 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड 1000/- रुपये।
 - ii. इस नाप के भूखण्ड के अतिरिक्त प्रत्येक 50 वर्ग मीटर तक के हिस्से तक 500/- रु0 अतिरिक्त।
6. मलबा शुल्क 1000/- रुपये।

नोट :-

1. यह आदेश चारदीवारी क्षेत्र पर लागू नहीं है। यह आदेश योजना क्षेत्र पर ही लागू है। गैर योजना क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। प्राप्ति रसीद संलग्न प्रारूप के अनुसार उपरोक्त प्रक्रिया अपनाते हुये पत्रावली जमा करवाने वाले दिनांक को ही प्राप्त करें। प्राप्ति रसीद प्राप्त करने के पश्चात् ही मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
2. मलबा शुल्क छः माह के लिए होगा।
3. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 197 के तहत सड़क मार्ग में बाधा, खतरा, असुविधा ना हो, इसलिए मार्ग से निर्माणाधीन भवन को अलग रखने के लिए होर्डिंग व वेरिकोटिंग लगवायेगा।
4. निर्माण कार्य से यातायात/आमजन को कोई असुविधा ना हो यह प्रार्थी सुनिश्चित करेगा।

संलग्न :- प्रारूप।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सहायक, महापौर महोदय, नगर निगम, जयपुर।
2. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, नगर निगम, जयपुर।
3. निदेशक (विधि), नगर निगम, जयपुर।
4. आयुक्त (आयोजना), नगर निगम, जयपुर।
5. समस्त जोन आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
6. गार्ड फाईल।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर



नगर निगम, जयपुर

क्रमांक :- F () MC/ NNJ/2012

दिनांक:-

आवासीय भवन मानचित्र प्राप्ति रसीद

500.00 वर्ग मीटर आकार तक तथा 8.00 मीटर ऊँचाई (तहखाना, भूतल तथा प्रथम तल)
(चारदीवारी के बाहर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत)

आवेदन क्रमांक

दिनांक

आवेदक का नाम एवं पता :-

श्री

भूखण्ड संख्या :-

योजना का नाम

जोन

वार्ड

पिन कोड

तकनीकी मानदण्ड :

क्र. सं.	विवरण	प्रार्थना पत्र के अनुसार	मौकेनुसार	भवन विनियमानुसार
i	क्षेत्रफल एवं साईज			
ii	सडक की चौडाई			
iii	प्रस्तावित निर्माण			
	(अ) तहखाना			
	(ब) भूतल			
	(स) प्रथम तल			
iv	सैटबैक			
	(अ) अग्र			
	(ब) पार्श्व-1			
	(स) पार्श्व-2			
	(द) पीछे			
v	ऊँचाई			
vi	अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	सैटबैक क्षेत्र के अंदर	सैटबैक क्षेत्र के अंदर	सैटबैक क्षेत्र के अंदर

आप द्वारा भवन निर्माण करने बाबत दिये गये प्रार्थना पत्र के क्रम में निम्नांकित शर्तों के साथ भवन निर्माण करने हेतु मानचित्र प्राप्ति की रसीद दी जाती है :-

- नगर निगम जयपुर द्वारा निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार ही प्रभावित होंगे एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए नगर निगम जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।
- भवन का निर्माण भवन विनियम 2010 में वर्णित तकनीकी मानदण्डों के अनुसार किया जाना होगा।
- 300 वर्ग मीटर तथा इससे अधिक आकार के भूखण्डों में वर्षा जल द्वारा भू-गर्भ का जल स्तर बढ़ाने की व्यवस्था विनियम 8.14 के अनुसार आवश्यक रूप से करनी होगी।
- चरपेटा पर तहखाना निर्माण की स्थिति में नगर निगम के हित में क्षतिपूर्ति बंधक पत्र निष्पादित करना अनिवार्य है।
- भवन के आंतरिक निर्माण मानदण्ड विनियम 9.1 से 9.6 के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।
- तहखाना का निर्माण भवन विनियम 9.7 में वर्णित तकनीकी मानदण्डों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।
- मलबा सडक पर नहीं डालें।

आयुक्त

नगर निगम, जयपुर

प्रतिलिपि :- आयुक्त (सतर्कता), नगर निगम, जयपुर।